



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 122/2026

सुरेन्द्र कुमार एवं 2 अन्य

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, पंचायत राज, लखनऊ एवं 9 अन्य

...प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – दीपक कुमार

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मोहन सिंह

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक कुमार, राज्य प्रतिवादियों के विद्वान राज्य अधिवक्ता और गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहन सिंह को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता ग्राम सभा- रालभरि, तहसील- फतेहपुर, जिला- बाराबंकी के ग्राम प्रधान के विरुद्ध जांच की मांग कर रहा है। वह ग्राम प्रधान द्वारा वित्तीय अनियमितताओं और शक्ति के दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहा है।
3. गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि याचिकाकर्ताओं का इस मामले में व्यक्तिगत हित है क्योंकि वे स्वयं गाटा संख्या 215 के भूमि के भाग के अतिक्रमणकारी हैं, जो 'पुरानी परती' के रूप में दर्ज है और जब अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया गया, तब उन्होंने यह जनहित याचिका दायर की है।
4. जैसा भी हो, यदि विधि में अन्यथा अनुमेय है और कोई वास्तविक हेतुक है, तो याचिकाकर्ता या कोई

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अन्य व्यक्ति विहित प्रारूप पर और नियमों के अनुसार उ.प्र. पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 95(1)(छ) सहपठित नियम 3 के अंतर्गत संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकता है।

5. तदनुसार, याचिका निस्तारित की जाती है।

12 फरवरी, 2026

अर्णिमा

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन राय)